भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 589

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**लंबित न्यायिक मामले**

**589. चौधरी सुखराम सिंह यादव :**

**श्रीमती छाया वर्मा :**

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न अदालतों में बड़े पैमाने पर मुकद्दमे लंबित हैं जिनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है ;

(ख) वतर्मान समय में देश की निचली अदालतों एवं उच्च न्यायालयों में कितने मुकद्दमे लंबित हैं आरै यदि इस गति में उनका निपटारा होता है तो उनके निपटान में कितना समय लगगा ; और

(ग) अदालतों में लगातार बढ़ते मुकद्दमों को देखते हुए समय पर जनता को न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

 **(क), (ख) और (ग) :** लम्‍बित मामलों पर आंकडा उच्‍चतम न्‍यायालय और संबंध उच्‍च न्यायालयों द्वारा रखा जाता है। उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार 01.12.2018 के अनुसार उच्‍चतम न्‍यायालय में 56994 मामलें लम्‍बित थे। राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डाटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी) पर उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार 10.12.2018 को विभिन्‍न उच्‍च न्‍यायालयों में 47.68 लाख मामले लम्‍बित थे और 10.12.2018 को जिला और अधीनस्थ न्‍यायालयों में 2.91 करोड मामलें लम्‍बित थे।

 न्यायालयों में मामलों का निपटान करना न्‍यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। मामलों के निपटान के लिए लगने वाला समय कतिपय कारको पर निर्भर करता है जैसे मामले का प्रवर्ग (सिविल और दांडिक), तथ्यो की जटिलता भी सम्‍मिलित है जिसके अंतर्गत साक्ष्‍य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता, सहायक न्‍यायालय कर्मचारिवृंद तथा प्रक्रियाओं के लागू नियमों के अतिरिक्त बार, अन्‍वेषण अभिकरण, साक्षियों और वादकारी सम्‍मिलित है। संबंधित न्‍यायालयों द्वारा विभिन्‍न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय विरचना विहित नहीं की गई है। सरकार का न्यायालयों में मामलो के निपटान में कोई सीधी भूमिका नही है। तथापि केन्‍द्रीय सरकार मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

 सरकार ने न्‍यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली का उपबंध करने के लिए कई पहल किए हैं। सरकार द्वारा स्‍थापित राष्‍ट्रीय न्‍याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने विभिन्‍न रणनीतिक पहलों के माध्‍यम से न्‍यायिक प्रशासन में बकाया और लम्‍बित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्‍यकारी पहुंच को अंगीकार किया है जिसके अर्न्‍तगत न्‍यायालयों हेतु अवसंरचना का सुधार करना बेहतर न्‍याय परिदान के लिए संचार और प्रौद्योगिकी का प्रभावन (आई सी टी) प्रदान करने तथा उच्‍च न्‍यायालयों और उच्‍चतम न्‍यायालय में न्‍यायाधीशों की रिक्‍त स्‍थितियों को भरा जाना सम्‍मिलित है। अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्‍न पहलों के अधीन पिछले चार वर्षों के दौरान मुख्‍य उपलब्‍धियां निम्‍नानुसार हैं—

1. जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के न्‍यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:- 1993-94 में न्‍यायपालिका के लिए अवसंरचनात्‍मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम (सी एस एस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 6,623.87 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं । जिसमें से 3179.57 करोड़ रु० (जो आज की तारीख तक जारी कुल रकम का 48% है) अप्रैल, 2014 से राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों को जारी किए गए हैं । इस स्‍कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से आज की तारीख तक बढ़कर 18,731 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्‍या 10,211 से बढ़कर आज की तारीख तक 16539 हो चुकी है । इसके अतिरिक्‍त 2,906 न्‍यायालय हाल और 1,754 आवासी इकाईयां निर्माणाधीन हैं । केन्‍द्रीय सरकार ने 3,320 करोड़ रु० की अतिरिक्‍त प्राक्‍कलित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 से आगे स्‍कीम को जारी रखने का अनुमोदन किया है ।
2. सुधार की गई न्‍याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन:- वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कम्‍प्‍यूटरीकृत जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों की संख्‍या 13,672 से बढ़कर 16,755 हो चुकी है और 3083 की वृद्धि दर्ज की गई है । राष्‍ट्रीय न्‍यायिक डाटा ग्रिड का विकास किया गया है जो उन जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों से, जिन्‍हें पहले ही कम्‍प्‍यूटरीकृत किया जा चुका है, मामला दायर करने, मामले की प्रास्‍थिति और आदेशों तथा निर्णयों की इलैक्‍ट्रॉनिक प्रतियों के बारे में नागरिकों को ऑनलाइन सूचना उपलब्‍ध करवाता है । इस पोर्टल पर 10.80 करोड़ मामलों, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ लंबित मामले भी हैं, और 7.91 करोड़ से अधिक आदेश/ निर्णय उपलब्‍ध है। ई-न्‍यायालय सेवाएं जैसे मुवक्‍किलों और अधिवक्‍ताओं को ई न्‍यायालय सेवाऐं जैसे मामला रजिस्‍टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्‍थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्‍यौरे सभी कम्‍प्‍यूटरीकृत न्‍यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ईमेल सेवा, एस एम एस पुश एण्‍ड पुल सर्विस के माध्‍यम से उपलब्‍ध हैं। ई न्‍यायालय परियोजना देश की उच्‍चतम 5 मिशन मोड परियोजनाओं में लगातार बनी हुई है।
3. उच्‍चतम न्‍यायालय, उच्‍च न्‍यायालयों तथा जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों के रिक्‍त पदों को भरना:- मई 2014-नवंबर, 2018 के दौरान, उच्‍चतम न्‍यायालय में 25 न्‍यायाधीशों की नियुक्‍ति हुई, उच्‍च न्‍यायालयों में 423 नए न्‍यायाधीश नियुक्‍त किए गए तथा 362 अतिरिक्‍त न्‍यायाधीश स्‍थायी किए गए । मई 2014 में उच्‍च न्‍यायालयों की स्‍वीकृत संख्‍या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1079 हो गई । जिला और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों में न्‍यायिक अधिकारियों की स्‍वीकृत और कार्यरत पद संख्‍या में निम्‍नानुसार वृद्धि की गई है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| यथास्‍थिति  | स्‍वीकृत संख्‍या | कार्यरत पद संख्‍या |
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 30.09.2018 | 22,644 | 17,509 |

1. बकाया मामला समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है।

(v) **न्यायमित्र स्कीम:-** न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 2017 में न्यायमित्र स्कीम प्रारंभ की। इस स्कीम के अधीन, दस वर्ष से अधिक लंबित मामलों को तेजी से निपटाने को सुकर बनाने हेतु सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया जाता है और न्यायमित्र के रूप में पदनामित किया जाता है। पहले चरण में राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में 15 न्यायमित्र नियुक्त किए गए हैं।

(vi) एडीआर (अनुकल्पी विवाद समाधान) पर जोर: वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018 तारीख 20 अगस्‍त 2018 को अधिनियमित किया गया है जिससे वाणिज्यिक विवादों के निपटारे के लिए बाध्यकारी पूर्व संस्थापन मध्यकता तंत्र को आरंभ किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के द्वारा संशोधन किए गए है । इसके अतिरिक्त माध्‍यस्‍थ संस्‍थान, प्रत्‍यायित मध्‍यस्‍थों तथा एक डी आर के क्षेत्र मे प्रशिक्षण और पंचाट प्रमाणपत्र प्रदान करने के साथ-साथ भारत की माध्यस्थम परिषद् (एसीआई) की स्‍थपना के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 को लोक सभा द्वारा 10.08.2018 को पारित किया गया है।

1. विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल: चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्‍थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, स्त्रियों, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्‍य सरकार ने ऐसी अपेक्षाओ से मिलने वाले कर न्‍यागम मे 32% से वृद्धि करने के प्ररूप में उपबन्‍ध करने के लिए अतिरिक्‍त वित्तीय स्‍थान का प्रयोग करने का अनुरोध किया है। इस समय सम्पूर्ण देश में 708 ऐसे त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए बारह (12) विशेष न्यायालय ग्यारह (11) राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) में स्थापित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्य सरकारों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं। भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए 'दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018' को 11 अगस्‍त 2018 को अधिनियमित किया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*